प्रारम्भिक डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी – श्री देवी सिंह (आर.ए.एस.)
मूल वाद सं0 –63/18
व.मु. उनवान

1. रामनरेश पुत्र खरगसिंह जाति धोबी निवासी गढी धर्मजीत तहसील फतेहाबाद जिला आगरा (उ.प्र.)
......................................वादी

बनाम

1. मेघराज पुत्र मवसिया जाति कोली निवासी दलेल का पुरा तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर (राज.)
2. नत्थी पुत्र आशाराम जाति खटीक निवासी गुनपुर तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर (राज.)
3. तहसीलदार साहब राजाखेडा जरिये जरिये राज. सरकार लेण्ड होल्डर जयपुर (राज.)

दावा:, बंटबारा काश्त मय स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 23.11.2022 मु0 नम्बर 63/18

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू मुझ देवी सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्डाधिकारी राजाखेडा व हाजिरी श्री दिनेश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी स. 1 होकर हुक्म दिया जाता है व दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी ख0नं0 1305 रकवा 0–12, ख.न. 1326 रकवा 0–12, ख.न. 1327 रकवा 0–14, ख.न. 1328 रकवा 0–08, 1329 रकवा 1–09, 1334 रकवा 1–06 कुल किता 6 कुल रकवा 5–01 वाके ग्राम जारह पटवार हल्का सदापुर तहसील राजाखेडा का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड वाउण्डस के आधार बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजाखेडा को राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारान के हिस्से के अनुसार अच्छी में से अच्छी बुरी में बुरी आराजीयात के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाये जाने हेतु परवाना जारी हो।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.11.2022 को जारी की गई ।

(देवी सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा जिला–धौलपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा